ऑन लाईन नं. **RCMS 2017/00090**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : **वीरेन्द्र सिंह चौधरी**, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 01/2017

राज्य सरकार जरिये श्री संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी (अभि.) श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

श्री चिमन लाल पुत्र श्री उत्तम चन्द , चिमन लाल एण्ड संस, उचित मुल्य दुकानदार केसरीसिंहपुर , अतिरिक्त चार्ज 2 डब्ल्यू गुरूसर,तहसील श्रीकरनपुर

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी उपस्थित नहीं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय **दिनांक : 20.05.2024**

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.04. 2017 को श्री संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी हमराज श्री सुनील कुमार पंवार, उप पुलिस अधीक्षक, श्रीकरनपुर व श्री वेदप्रकाश लाखोटिया सी.आई. थाना केसरीसिंहपुर के केरोसीन संबंधी शिकायत की जांच हेतु, 1–सी ब्लॉक केसरीसिंहपुर पर पहुंचे। 1–सी ब्लॉक केसरीसिंहपुर का निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री चिमन लाल पुत्र श्री उत्तम चन्द उपस्थित मिला। उन्होने बताया कि यह मेरी उचित मूल्य दुकान का गोदाम है, मेरे नाम से उचित मूल्य दुकान का आवंटन है। मौके पर उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्र संख्या 102/97 दिखाया। उक्त प्राधिकार पत्र में व्यापार स्थल 10 सुभाष पार्क केसरीसिहपुर व गोदाम 1–सी ब्लॉक केसरीसिंहपुर दर्ज है। गोदाम में रखे सामान के भौतिक सत्यापन में कुल 2640 लीटर केरोसीन व 2.50 क्विंटल चीनी रखी मिली थी। चिमनलाल ने बताया कि मेरे द्वारा वार्ड नम्बर 5,12 केसरीसिंहपुर व अतिरिक्त चार्ज 2 डब्लयू गुरूसर का राशन वितरण कार्य किया जाता है। चिमन लाल के साथ 2 डब्ल्यू गुरूसर में उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान में रखे स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। दुकान में 660 लीटर केरोसीन, 9 क्विंटल चीनी व 43 क्विंटल गेहू रखा मिला। दुकानदार के केरोसीन स्टॉक रजिस्टर को जांचने पर उसमें दिनांक 16.04.2017 का क्लोजिंग स्टॉक केरोसीन 3227.50 लीटर दर्ज है। दुकान में 660 लीटर केरासीन रखा मिला शेष 2577.50 लीटर केरोसीन के बारे में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि यह शेष केरोसीन मेरी दुकान के दर्ज गोदाम 1 सी ब्लॉक में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि यह शेष केरोसीन मेरी दुकान के दर्ज गोदाम 1 सी ब्लॉक केसरीसिंहपुर में रखा था। गोदाम की जांच में 2640 लीटर केरोसीन व दुकान में 660 लीटर केरोसीन कुल 3300 लीटर केरोसीन मिली, जबकि स्टॉक रजिस्टर में 3227.50 लीटर केरोसीन दर्ज है। इस प्रकार दुकानदार के पास 62.50 लीटर केरोसीन अधिक रखा मिला। मौके पर दुकान में अधिक पाये 62.50 लीटर केरोसीन के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब दुकानदार द्वारा नहीं दिया गया। इस कारण अधिक मिला 62.50 लीटर केरोसीन जब्त कर लालचन्द पुत्र श्री दीपाराम उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नम्बर 11 केसरीसिंहपुर की सुपुर्दगी में दिया। उक्त जांच से स्पष्ट है कि चिमनलाल उचित मूल्य दुकानदार के स्टॉक में अधिक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

केरोसीन पाये जाने के कारण उसके द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 (सी) का उल्लंधन किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 62.50 लीटर केरोसीन राजसात करने के आदेश फरमावें। चूंकि नीला केरोसीन में छिजत की संभावना है। अतः जब्तशुदा केरोसीन के अंतरिम निस्तारण आदेश ीाी जारी करने का श्रम करें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी के खिलाफ संज्ञान लिया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी चिमनलाल पुत्र श्री उत्तम चन्द को जारी नोटिस कमांक 1972 दिनांक 24.07.2017 पर तामिल कुन्दिा हैडमाहरिर, पुलिस थाना केसरीसिंहपुर की रिपोर्ट अनुसार चिमनलाल पुत्र उत्तम चन्द निवासी केसरीसिंहपुर पहुंच कर श्री चिमनलाल से स्वयं द्वारा नोटिस तामिल की जाकर बाद तामील सेवा में पेश है। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी स्वयं पर तामील के बावजूद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि मौके पर उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्र संख्या 102/97 दिखाया। उक्त प्राधिकार पत्र में व्यापार स्थल 10 सुभाष पार्क केसरीसिहपुर व गोदाम 1-सी ब्लॉक केसरीसिंहपुर दर्ज है। गोदाम में रखे सामान के भौतिक सत्यापन में कुल 2640 लीटर केरोसीन व 2.50 क्विंटल चीनी रखी मिली थी। चिमनलाल ने बताया कि मेरे द्वारा वार्ड नम्बर 5,12 केसरीसिंहपुर व अतिरिक्त चार्ज 2 डब्लयू गुरूसर का राशन वितरण कार्य किया जाता है। चिमन लाल के साथ 2 डब्ल्यू गुरूसर में उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान में रखे स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। दुकान में 660 लीटर केरोसीन, 9 क्विंटल चीनी व 43 क्विंटल गेहू रखा मिला। दुकानदार के केरोसीन स्टॉक रजिस्टर को जांचने पर उसमें दिनांक 16.04.2017 का क्लोजिंग स्टॉक केरोसीन 3227.50 लीटर दर्ज है। दुकान में 660 लीटर केरासीन रखा मिला शेष 2577.50 लीटर केरोसीन के बारे में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि यह शेष केरोसीन मेरी दुकान के दर्ज गोदाम 1 सी ब्लॉक में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि यह शेष केरोसीन मेरी दुकान के दर्ज गोदाम 1 सी ब्लॉक केसरीसिंहपुर में रखा था। गोदाम की जांच में 2640 लीटर केरोसीन व दुकान में 660 लीटर केरोसीन कुल 3300 लीटर केरोसीन मिली, जबकि स्टॉक रजिस्टर में 3227.50 लीटर केरोसीन दर्ज है। इस प्रकार दुकानदार के पास 62.50 लीटर केरोसीन अधिक रखा मिला। मौके पर दुकान में अधिक पाये 62.50 लीटर केरोसीन के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब दुकानदार द्वारा नहीं दिया गया। इस कारण अधिक मिला 62.50 लीटर केरोसीन जब्त कर लालचन्द पुत्र श्री दीपाराम उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नम्बर 11 केसरीसिंहपुर की सुपुर्दगी में दिया। उक्त जांच से स्पष्ट है कि चिमनलाल उचित मूल्य दुकानदार के स्टॉक में अधिक केरोसीन पाये जाने के कारण उसके द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 (सी) का उल्लंधन किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 62.50 लीटर केरोसीन राजसात करने के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 17.04.2017 को केरोसीन संबंधी शिकायत की जांच हेतु, 1-सी ब्लॉक केसरीसिंहपुर पर पहुंचे। 1-सी ब्लॉक केसरीसिंहपुर का निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री चिमन लाल पुत्र श्री उत्तम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

चन्द उपस्थित मिला।गोदाम में रखे सामान के भौतिक सत्यापन में कुल 2640 लीटर केरोसीन व 2.50 क्विंटल चीनी रखी मिली थी। चिमनलाल ने बताया कि मेरे द्वारा वार्ड नम्बर 5,12 केसरीसिंहपुर व अतिरिक्त चार्ज 2 डब्लयू गुरूसर का राशन वितरण कार्य किया जाता है। चिमन लाल के साथ 2 डब्ल्यू गुरूसर में उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान में रखे स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। दुकान में 660 लीटर केरोसीन, 9 क्विंटल चीनी व 43 क्विंटल गेहू रखा मिला। दुकानदार के केरोसीन स्टॉक रजिस्टर को जांचने पर उसमें दिनांक 16.04.2017 का क्लोजिंग स्टॉक केरोसीन 3227.50 लीटर दर्ज है। दुकान में 660 लीटर केरासीन रखा मिला शेष 2577.50 लीटर केरोसीन के बारे में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि यह शेष केरोसीन मेरी दुकान के दर्ज गोदाम 1 सी ब्लॉक में पूछने पर दुकानदार ने बताया कि यह शेष केरोसीन मेरी दुकान के दर्ज गोदाम 1 सी ब्लॉक केसरीसिंहपुर में रखा था। गोदाम की जांच में 2640 लीटर केरोसीन व दुकान में 660 लीटर केरोसीन कुल 3300 लीटर केरोसीन मिली, जबकि स्टॉक रजिस्टर में 3227.50 लीटर केरोसीन दर्ज है। इस प्रकार दुकानदार के पास 62.50 लीटर केरोसीन अधिक रखा मिला। मौके पर दुकान में अधिक पाये 62.50 लीटर केरोसीन के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब दुकानदार द्वारा नहीं दिया गया। उक्त जांच से स्पष्ट है कि चिमनलाल उचित मूल्य दुकानदार के स्टॉक में अधिक केरोसीन पाये जाने के कारण उसके द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुए (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 व 17 (सी) का उल्लंधन किया गया है। अतः अप्रार्थी चिमन लाल उचित मुल्य यदुकानदार के स्टॉक में अधिक केरोसीन पाये जाने के कारण उसके द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र0 की शर्त संख्या 5 व 17 (सी) का उल्लंधन किये जाने पर जब्तशुदा 62.50 लीटर केरोसीन को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(वीरेन्द्र सिह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रथम) श्रीगंगानगर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)